

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 44/17  
बउनवान

ललित कुमार आयु 35 साल पुत्र जानकीलाल मीना निवासी-कलमण्डा  
तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :-1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांत)

(रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक- 25.04.2018**



अपीलांत ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के 10.3.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-कलमण्डा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 0.50 हेक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 275/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांत का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांत की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांत का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

